न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह (आर.ए.एस.)

कम्प्यूटर आई.डी. 2020/00290
मुकदमा नम्बर 134/2020 दिनांक–18.08.2020

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री रक्षपाल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम तोगडाकलां तहसील नवलगए जिला झुन्झुनू।
2. प्रदीप कुमार पुत्र श्री रक्षपाल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम तोगडाकलां तहसील नवलगए जिला झुन्झुनू।

– वादीगण

बनाम

भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

**वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जागिड़**
**वकील प्रति॰ :– राज. पैरोकार**

दावा घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड

:: निर्णय ::

**दिनांक 08.09.2020**

वादी ने एक वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम तोगडाकलां तहसील नवलगढ की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 527, 536, 537, 584 रकबा क्रमशः 0.77, 0.02, 2.10, 0.34 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 3.23 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण का बराबर–बराबर 1/2 – 1/2 हिस्सा है। उपरोक्त आराजी के अलावा ग्राम तोगडाकलां में आराजी नये खसरा नम्बर 279 रकबा 0.22 हैक्टर स्थित है जिसमें वादीगण का बराबर–बराबर हिस्सा 3/22 – 3/22 है। ग्राम तोगडाकलां मे अन्य आराजी खसरा नम्बर 280 रकबा 0.02 हैक्टर स्थित है जिसमें वादीगण का बराबर–बराबर 1/4 – 1/4 हिस्सा है। ग्राम तोगडाकला में अन्य आराजी खसरा नम्बर 520 रकबा 2.59 हैक्टर स्थित है। जिसमें वादीगण के बराबर–बराबर 1/6– 1/6 हिस्सा है दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजियात को आगे वाद पत्र में सुविधा के लिए वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उपरोक्त आराजी बाबत वादीगण का हक हिस्से बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। वादीगण का हक हिस्सा राजस्व अभिलेख मे जिस प्रकार से दर्ज है सही दर्ज हैं। वादीगगण के पिता का नाम सही व वास्तविक नाम रक्षपाल सिंह है। साधारण बोल–चाल में रिछपाल भी कहते थे इस कारण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 520 को छोडकर शेष भूमि के राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता का नाम रिछपाल दर्ज है। खसरा नम्बर 520 के राजस्व अभिलेख में रक्षपाल दर्ज है। वादीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम रक्षपाल सिंह है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ



Scanned by CamScanner

वादीगण के शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेजात व अन्य पहचान सम्बन्धी तमाम दस्तावेजात मे वदी का नाम सुरेश कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह, प्रदीप कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह है। परन्तु वाद पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 520 को छोड़कर शेष में वादीगण का नाम सुरेश कुमार पुत्र रिछपाल, प्रदीप कुमार पुत्र रिछपाल दर्ज है उपरोक्त प्रकार से नामों की भिन्नता से वादीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रक्षपाल सिंह व रिछपाल दोनो नामो का एक ही व्यक्ति वादीगण का पिता ही है। वादी पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज आराजी मे खसरा नम्बर 527 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 537 रकबा 2.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.02 हैक्टर मे सुरेश कुमार पुत्र रिछपाल, प्रदीप कुमार पुत्र रिछपाल के स्थान पर वादीगण सुरेश कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह, प्रदीप कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह को व खसरा नम्बर 520 रकबा 2.59 हैक्टर मे सुरेश कुमार पुत्र रिछपाल, प्रदीप कुमार पुत्र रिछपाल के स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह, प्रदीप कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जिसके लिए उक्त वाद–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

वादीगण को उपरोक्त गलत राजस्व अभिलेख की पूर्व में जानकारी नही थी वादीगण ने दिनांक 11.08.2020 को राजस्व अभिलेख की नकल ली और गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी होने पर उक्त वाद के लिए वाद हेतुक पैदा हुआ। वादग्रस्त आराजी अदालत हाज के क्षैत्राधिकार में स्थित है इसलिए उक्त वाद को सुनने को श्रीमानजी को पूरा क्षैत्राधिकार प्राप्त हुआ है। वाद पूर्ण कोटे फी स पर पेश किया है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि वादी बहक वादीगण डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि ग्राम तोगडा कलां की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 527, 536, 537, 584, 279, 280, रकबा क्रमशः 0.77, 0.02, 2.10, 0.34, 0.22 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 3.45 हैक्टर में सुरेश कुमार पुत्र रिछपाल, प्रदीप कुमार पुत्र रिछपाल के स्थान पर व खसरा नम्बर 520 रकबा 0. 02 हैक्टर में सुरेश कुमार पुत्र रक्षपाल, प्रदीप कुमार पुत्र रक्षपाल के स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह, प्रदीप कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व में रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर राज पैरोकार उपस्थित होकर अपना जवाब दावा में नाम दुरूस्ती की सहमति प्रदान की गई है। साक्ष्य वादी में वादी सुरेश कुमार एवं प्रदीप कुमार के चीफ के शपथ पत्र पेश किये गये है।

अतः राज पैरोकार के जवाब दावा एवं वादी के दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र द्वारा सुरेश कुमार पुत्र श्री रक्षपाल सिंह एवं प्रदीप कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह जाति जाट निवासी तोगडा कलां उक्त दोनों नामो का एक ही व्यक्ति वादी होना साबित है। तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट में वादी का नाम दुरूस्त किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसमें वादी का नाम सुरेश कुमार पुत्र श्री रक्षपाल सिह एंव प्रदीप कुमार पुत्र श्री रक्षपाल सिंह तथा तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट अनुसार भी वादी का सही नाम सुरेश कुमार पुत्र श्री रक्षपाल सिह एंव प्रदीप कुमार पुत्र श्री रक्षपाल सिंह होना वर्णित किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़



Scanned by CamScanner

## आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम लोगडाकलां स्थित नये खसरा नम्बर 527, 536, 537, 584, 279, 280, रकबा क्रमशः 0.77, 0.02, 2.10, 0.34, 0.22 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 3.45 हैक्टर में सुरेश कुमार पुत्र रिछपाल, प्रदीप कुमार पुत्र रिछपाल व खसरा नम्बर 520 रकबा 0.02 हैक्टर में सुरेश कुमार पुत्र रक्षपाल, प्रदीप कुमार पुत्र रक्षपाल के स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह, प्रदीप कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( इन्द्राज सिंह )
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

( ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी )
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
इन्द्राज सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

## दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड

कम्प्यूटर आई.डी. 2020 / 00290

मुकदमा सं0:– 134 / 2020 ( सुरेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ )

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **इन्द्राज सिंह** ( आर.ए.एस. ),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 08–09–2020 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। रराजस्व ग्राम तोगडाकलां स्थित नये खसरा नम्बर 527, 536, 537, 584, 279, 280, रकबा क्रमशः 0.77, 0.02, 2.10, 0.34, 0.22 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 3.45 हैक्टर में सुरेश कुमार पुत्र रिछपाल, प्रदीप कुमार पुत्र रिछपाल व खसरा नम्बर 520 रकबा 0.02 हैक्टर में सुरेश कुमार पुत्र रक्षपाल, प्रदीप कुमार पुत्र रक्षपाल के स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह, प्रदीप कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

जिन............–............ मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह. ....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–..........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08 माह 09 सन 2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
( इन्द्राज सिंह )
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

| मुद्दई | रूपया पैसे | मुद्दासलह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2.00 | स्टाम्प अर्जी दावा | 2.00 |
| वकालतनामा स्टाम्प | 02.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | स्टाम्प अर्जी | – |
| महनताना वकील | – | महनताना वकील | – |
| खर्चा गवाहान | – | खर्चा गवाहान | – |
| फीस कमिश्नर | – | फीस कमिश्नर | – |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | – | बाबत इजराय हुक्मनामा | – |
| मुतफरिक मिजान | 4.00 | मुतफरिक मिजान | 0.00 |
| कुल | 08.00 | | 2.00 |



Scanned by CamScanner